

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
मार्गदर्शिका

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, वस्त्रों की धुलाई तथा विद्यालय परिसर की साफ-सफाई का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने के लिए प्रक्रिया।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के आवासितों को बेहतर भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, वस्त्रों की धुलाई तथा विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के कार्य हेतु संकल्प संख्या-1769, दिनांक-21.11.2024 निर्गत की गई है। उक्त कार्यों हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया है।

2. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से उक्त कार्यों हेतु संकल्प और समझौता ज्ञापन (MoU) में अंकित बिन्दुओं के कार्यान्वयन के लिये एवं इसके अतिरिक्त निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित किए जाते हैं:-

(क) भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था

(1). मेस संचालन की व्यवस्था:-

- (i) संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी आवासीय विद्यालय के परिसर में मेस संचालन हेतु रसोई घर, आवश्यक बर्तन, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, विश्रामगृह एवं भंडारगृह की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आवासीय विद्यालयों में मेस संचालन के लिए पूर्व से संधारित बर्तनों, गैस चूल्हा, रेफ्रिजरेटर एवं अन्य सामग्रियों की सूची तैयार कर "दीदी की रसोई" को हस्तगत कराया जायेगा।
- (ii) मेन्यू के अनुसार मेस संचालन की जवाबदेही "दीदी की रसोई" की होगी।
- (iii) प्रथम 02 माह के लिए अनुमानित विपत्र की राशि का अग्रिम भुगतान बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- (iv) विद्यालय प्रधानाध्यापक के द्वारा मेस संचालन पंजी का संधारण किया जाएगा, जिसमें दैनिक छात्रोपस्थिति, मेन्यू के अनुरूप भोजन तथा जलपान की आपूर्ति, दैनिक मेन्यू में वर्णित सभी भोजन तथा जलपान वितरण का समय की अनिवार्य प्रविष्टि की जाएगी। छात्रावास प्रभारी/वार्डन पंजी की प्रविष्टियों का अनिवार्य रूप से प्रतिदिन सत्यापन करेंगे। जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी या उनसे वरीय पदाधिकारियों के निरीक्षणों में भी उक्त पंजी का सत्यापन किया जाएगा एवं संगत अभ्युक्ति अंकित की जाएगी।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-1 एवं मेन्यू अनुलग्नक-1A के रूप में संलग्न)

(2) विपत्रों की निकासी एवं लेखा संधारण

- (i) मेस संचालन के लिए नामित सामुदायिक संगठन (दीदी की रसोई) से विहित प्रपत्र में जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) विपत्र प्राप्त कर प्रत्येक माह के अंतिम दिन जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न)

- (ii) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा जीविका द्वारा समर्पित विपत्र का सत्यापन प्रधानाध्यापक से कराया जाएगा। विद्यालय में संधारित मेस पंजी से छात्रा-संख्या, मेन्यू के अनुपालन, भोजन तथा जलपान वितरण का समय से संबंधित, संधारित की गई प्रविष्टियों से विपत्र की जांच की जाएगी एवं विहित सत्यापन-प्रपत्र में तदनुसार प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न)

- (iii) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सत्यापन प्रपत्र में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर आवश्यकतानुसार स्वयं भी संतुष्ट होकर विपत्र को पारित करेंगे। सत्यापन प्रपत्र में छात्रा-संख्या, निर्धारित मेन्यू और भोजन तथा जलपान का समय, से संबंधित किसी भी अंकित विचलन के लिए प्राप्त विपत्र की कुल राशि से कटौती कर ही भुगतान किया जाएगा।
- (iv) मेस में भोजन, जलपान आदि की आपूर्ति शत प्रतिशत मेन्यू के अनुसार एवं ससमय की जायेगी। इससे संबंधित मेस पंजी का संधारण किया जायेगा, जिस पर प्रतिदिन विद्यालय छात्रावास के प्रभारी/वार्डन का हस्ताक्षर रहेगा। मेन्यू से विचलन अथवा ससमय भोजन/जलपान की आपूर्ति नहीं होने पर निम्नरूपेण राशि की कटौती की जायेगी:-

(a) माह में 05 या 05 से अधिक बार मेन्यू से ज्यादा विचलन होने की स्थिति में उस माह के लिए कुल विपत्र की राशि में से 01 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी।

(b) माह में 05 या 05 से अधिक बार दैनिक कैलेंडर में भोजन तथा जलपान के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट या उससे अधिक विलंब से भोजन/जलपान उपलब्ध कराने की स्थिति में उस माह के लिए कुल विपत्र की राशि में से 01 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी।

- (v) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी उपर्युक्त कटौतियों (यदि लागू हो) के पूर्व सत्यापन प्रपत्र में अंकित विचलनों का अपने स्तर से परीक्षण विद्यालय में संधारित साक्ष्यों, फोटोग्राफ आदि के आधार पर सुनिश्चित करने के उपरांत विपत्र अनुमोदित/पारित करेंगे। भुगतान/स्वीकृति हेतु विहित प्रपत्र संलग्न है।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-4 के रूप में संलग्न)

- (vi) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी मेस संचालन के लिए जीविका को भुगतान किए गए विपत्रों से संबंधित अभिलेखों का संधारण विहित प्रपत्र के अनुसार अलग पंजी में करेंगे।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न)

(ख) पोशाक की आपूर्ति

(1) पोशाक की आपूर्ति की व्यवस्था:-

- (i) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा पोशाक अधिप्राप्ति एवं वितरण के लिए निम्नरूपेण विहित प्रपत्र में "इण्डेन्ट" प्राप्त कर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को उपलब्ध कराया जाएगा:-

(अनुलग्नक-6)

(a) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में शैक्षणिक सत्रारंभ (माह-अप्रैल) से पूर्व माह-फरवरी में ही कक्षा-06 से कक्षा-11 अथवा उच्चतर संचालित कक्षा से एक कक्षा नीचे में से जो भी निम्न कक्षा हो, तक में नामांकित सभी छात्राओं का विहित प्रपत्र में "इण्डेन्ट" प्राप्त कर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को उपलब्ध कराया जाएगा एवं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा सत्रारंभ से पूर्व सभी संबंधित छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(b) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में नये नामांकित सभी छात्राओं का विहित प्रपत्र में "इण्डेन्ट" प्राप्त कर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को उपलब्ध कराया जाएगा एवं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा सत्रारंभ माह-अप्रैल में ही सभी संबंधित छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के द्वारा पोशाक आपूर्ति से संबंधित इण्डेन्ट उपलब्ध कराये जाने के एक सप्ताह के अंदर जीविका द्वारा नामित सामुदायिक संगठन के प्रतिनिधि संबंधित विद्यालय का भ्रमण कर कक्षावार एवं छात्रावार पोशाक की माप लेंगे एवं इसकी प्रविष्टि विहित प्रपत्र में करेंगे। नये नामांकितों के मामले में छात्रावार पोशाक की माप इण्डेन्ट प्राप्त होने के 02 दिन के अंदर लिया जायेगा। **(अनुलग्नक-7)**

(iii) संकल्प के अनुसार निर्धारित दर पर पोशाक आपूर्ति के कुल व्यय के अधिकतम 30 प्रतिशत की राशि जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा कैलेण्डर वर्ष में शैक्षणिक सत्रारंभ (माह-अप्रैल) से पूर्व माह-फरवरी में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा चिन्हित खाता में अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जो माँग एवं दर के आधार पर होगा।

(iv) प्रत्येक बालिका को 4 (चार) सेट पोशाक देय होगा। पोशाक का उपयुक्त वस्त्र एवं रंग विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पोशाक में पॉली सूती (Poly-Cotton) कम-से-कम 65:35 के अनुपात का होगा। आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा पोशाक आपूर्ति से संबंधित पंजी का संधारण किया जाएगा।

(v) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पोशाक का कपड़ा एवं रंग निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं पोशाक के कपड़ा का नमूना प्रधानाध्यापक के कार्यालय तथा जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित किया जायेगा।

(vi) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा वस्त्रों की सिलाई एवं आपूर्ति पूर्व से नामांकित छात्राओं के मामले में सत्रारंभ से पूर्व तथा नये नामांकितों के मामले में सत्रारंभ माह-अप्रैल तक कर लिया जाएगा।

(vii) विहित प्रपत्र में पोशाक की आपूर्ति के लिए विद्यार्थियों के वितरण पंजी का संधारण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा पोशाक की आपूर्ति से संबंधित वितरण पंजी का सत्यापन किया जाएगा।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-8 के रूप में संलग्न)

(viii) पोशाक के फिटिंग में किसी भी प्रकार की समस्या पाए जाने पर जीविका के द्वारा नामित सामुदायिक संगठन द्वारा उसे बिना किसी अतिरिक्त व्यय भार के ठीक कर विद्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी प्रविष्टि विहित प्रपत्र **(अनुलग्नक-9)** में करते हुए पोशाक की फिटिंग हेतु वापस किया जाएगा, जिसे 10 दिनों में फिटिंग कर वापस किया जाएगा, जिसे विहित प्रपत्र **(अनुलग्नक-10)** में संधारित किया जाएगा।

(ix) सत्र के दौरान नव नामांकित अथवा छीजन के विरुद्ध नामांकित छात्राओं के पोशाक आपूर्ति हेतु जीविका को अलग से इण्डेन्ट उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त के आलोक में छात्राओं का माप लेकर जीविका द्वारा नामित सामुदायिक संगठन द्वारा पोशाक की आपूर्ति की जाएगी।

(2) विपत्रों की निकासी एवं लेखा संधारण

(i) जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) पोशाक आपूर्ति के लिए विपत्र प्राप्त कर माह अप्रैल के अंतिम दिन जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे। **(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-11 के रूप में संलग्न)**

- (ii) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी अगले सात दिनों में जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) से प्राप्त विपत्र का सत्यापन प्रधानाध्यापक से करायेंगे (अनुलग्नक-12) एवं आवश्यकतानुसार स्वयं भी जाँच करेंगे। तत्पश्चात् जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी अंतिम रूप से नियमानुसार विपत्र अनुमोदित करेंगे। भुगतान/स्वीकृति हेतु विहित प्रपत्र अनुलग्नक-13 के रूप में संलग्न है।
- (iii) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी पोशाक आपूर्ति के लिए जीविका को भुगतान किए गए विपत्रों से संबंधित अभिलेखों का संधारण विहित प्रपत्र के अनुसार अलग पंजी में करेंगे। (अनुलग्नक-14)

(ग) पोशाक धुलाई

(1) पोशाक धुलाई की व्यवस्था:-

- (i) प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं शनिवार को आवासीय विद्यालयों के लिए नामित 'मेन्टॉर' शिक्षक/कर्मियों के सहयोग से विद्यालय के सभी छात्राओं से धुलाई हेतु दो-दो सेट पोशाक प्राप्त करेंगे, जिसकी छात्रवार विवरणी, पोशाक संख्या एवं उसके वजन सहित पंजी में विहित प्रपत्र अनुरूप संधारित कर उसे कक्षावार बंडलों में रखा जाएगा।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-15 के रूप में संलग्न)

- (ii) उक्त दिवसों को ही जीविका द्वारा नामित सामुदायिक संगठन आवासीय विद्यालयों के लिए नामित 'मेन्टॉर' शिक्षक/कर्मियों से चादर (तकिया-गिलाफ सहित), पोशाक एवं अन्य वस्त्रों को सफाई हेतु प्राप्त करेंगे। जीविका द्वारा नामित सामुदायिक संगठन को धुलाई हेतु कक्षावार प्राप्त कराए गए वस्त्रों की विवरणी, उनकी संख्या तथा वजन के साथ नामित संगठन को विहित प्रपत्र में संधारित पंजी में प्राप्त कराया जाएगा।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-16 के रूप में संलग्न)

- (iii) एक सप्ताह में प्रति छात्रा चार सेट पोशाक एवं एक चादर (तकिया-गिलाफ सहित) अधिकतम अनुमान्य होगा, जो उस माह के लिए अधिकतम 8 (आठ) किलो प्रति छात्रा होगा। प्रति छात्रा धुलाई के वस्त्रों का योग माह में अधिकतम 8 किलोग्राम सुनिश्चित करने के लिए माह के अंतिम सप्ताह में छात्राओं से धुलाई हेतु प्राप्त वस्त्रों की संख्या इस प्रकार तय की जाएगी कि प्रति छात्रा प्रति माह धुलाई के वस्त्रों की मात्रा 8 किलोग्राम से अधिक नहीं हो। नामित मेन्टॉर/शिक्षक/कर्मियों निर्धारित मापदंड पर अंतिम सप्ताह के लिए धुलाई हेतु प्राप्त किए जाने वाले वस्त्रों की संख्या निर्धारित करेंगे। (उदाहरण स्वरूप यदि किसी माह में 4 सप्ताह हैं, और किसी छात्रा के द्वारा प्रथम 3 सप्ताहों में धुलाई हेतु दिए गए वस्त्रों का कुल वजन 5 कि०ग्रा० है, तो अंतिम सप्ताह में उस छात्रा को धुलाई हेतु कुल अनुमान्य मासिक वजन 8 कि०ग्रा० में से प्रथम 3 सप्ताहों में धुलाई के वस्त्रों के कुल वजन, जो 5 कि०ग्रा० है, को व्यवकलित कर अंतिम सप्ताह में सिर्फ 3 कि०ग्रा० वजन के समतुल्य वस्त्रों की धुलाई अनुमान्य होगी। यह गणना प्रत्येक छात्रा के लिए की जाएगी।)
- (iv) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा पोशाक के वजन हेतु मशीन (Weighing Machine) उपलब्ध कराया जाएगा।
- (v) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा पोशाक धुलाई के लिए अग्रिम की राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के चिन्हित खाता में उपलब्ध करायेंगे।
- (vi) पोशाक की धुलाई की निर्बाध सेवा की संपूर्ण जिम्मेवारी जीविका की होगी।
- (vii) धुले हुए पोशाक को सामुदायिक संगठन के द्वारा प्राप्ति के 96 घंटों के अंदर विद्यालय को प्राप्त कराया जाएगा। प्राप्ति हेतु धुले हुए पोशाकों को नामित

सामुदायिक संगठन के द्वारा कक्षावार बंडल किया जाएगा एवं विद्यालय प्रधानाध्यापक/प्राधिकृत शिक्षक/कर्मियों की उपस्थिति में नामित मेन्टॉर/शिक्षक/कर्मियों को प्राप्त कराया जाएगा। कक्षा से संबंधित मेन्टॉर/शिक्षक/कर्मियों को प्राप्त पोशाकों की संख्या एवं वजन का मिलान संधारित पंजी से करेंगे तथा किसी भी प्रकार की विसंगति को तत्काल जीविका के नामित सामुदायिक संगठन के प्रतिनिधि को करावेंगे, साथ ही इसकी प्रविष्टि प्राप्ति पंजी के अभ्युक्ति कॉलम में अंकित करते हुए सामुदायिक संगठन के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर ले लेंगे।

(viii) धुले हुए पोशाक को प्राप्त करने के समय ही धुलाई तथा प्रेस की गुणवत्ता की जांच की जाएगी, किसी भी प्रकार की विसंगति को तत्काल निर्धारित पंजी में अंकित करते हुए जीविका के प्रतिनिधि के संज्ञान में भी लाया जाएगा।

(2) विपत्रों की निकासी एवं लेखा संधारण—

- (i) जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) पोशाक धुलाई के लिए विहित प्रपत्र में विपत्र प्राप्त कर प्रत्येक माह के अंतिम दिन जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे। **(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-17 के रूप में संलग्न)**
- (ii) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी विपत्र में अंकित पोशाक की मात्रा एवं राशि का सत्यापन अगले तीन दिनों में प्रधानाध्यापक से करावेंगे एवं आवश्यकतानुसार स्वयं भी जाँच करेंगे।
- (iii) विपत्र-सत्यापन में धुले वस्त्रों की संख्या/वजन के अतिरिक्त धुलाई की गुणवत्ता तथा धुलाई हेतु प्राप्त कराए गए वस्त्रों तथा धुलाई उपरांत वापस किए गए वस्त्रों की संख्या में किसी भी अंतर का भी ध्यान रखा जाएगा। धुलाई के क्रम में खो जाने वाले वस्त्रों के समतुल्य मूल्य की कटौती विपत्र से की जाएगी एवं उससे संबंधित छात्रा को नये वस्त्र उपलब्ध कराया जाएगा। धुलाई की गुणवत्ता मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-18 के रूप में संलग्न)
- (iv) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी अंतिम रूप से नियमानुसार सत्यापित विपत्र का सत्यापन करने के उपरांत विपत्र को अनुमोदित करेंगे। भुगतान/स्वीकृति हेतु विहित प्रपत्र **अनुलग्नक-19** के रूप में संलग्न है।
- (v) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी पोशाक धुलाई के लिए जीविका को भुगतान किए गए विपत्रों से संबंधित अभिलेखों का संधारण विहित प्रपत्र के अनुसार अलग पंजी में करेंगे।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-20)

(घ) विद्यालय परिसर की साफ-सफाई

(1) विद्यालय परिसर की साफ-सफाई की व्यवस्था:—

- (i) जीविका द्वारा नामित सामुदायिक संगठन के माध्यम से विद्यालय परिसर की साफ-सफाई कराया जाएगा।
- (ii) विद्यालय एवं विद्यालय परिसर की साफ-सफाई की सेवा सुबह 5.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक निर्बाध रखने की सम्पूर्ण जवाबदेही जीविका की होगी। शौचालय और स्नानागार की सफाई प्रतिदिन 02 (दो) बार तथा परिसर की सफाई 01 (एक) बार निश्चित रूप से की जायेगी एवं इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में प्रधानाध्यापक के निदेशानुसार भी सफाई किया जायेगा। नामित सामुदायिक संगठन के द्वारा सुबह में गतिविधि प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यालय परिसर/शौचालय की साफ-सफाई का प्रथम चरण पूर्ण कर ली जाएगी।
- (iii) चिन्हित स्थल की साफ-सफाई प्रतिदिन एवं साप्ताहिक रूप से विहित प्रपत्र के अनुसार किया जाएगा एवं विद्यालय परिसर में एक कमरा, जलापूर्ति एवं विद्युत

आपूर्ति की व्यवस्था जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-21 के रूप में संलग्न है)

- (iv) प्रधानाध्यापक एवं उनके द्वारा नामित शिक्षक/कर्मियों के द्वारा दैनिक रूप से एकाधिक बार परिसर, शौचालय/स्नानागार आदि की सफाई व्यवस्था का सत्यापन किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा उनके भ्रमण में एवं जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी तथा अन्य उच्चाधिकारियों के निरीक्षण क्रम में विद्यालय परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा। सफाई व्यवस्था की गुणवत्ता के आधार पर उसके लिए 'संतोषप्रद', 'अच्छा' अथवा 'असंतोषप्रद' (साक्ष्य सहित) अभ्युक्ति निरीक्षणों में अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति विहित प्रपत्र में जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-22 के रूप में संलग्न है)

- (v) विद्यालय संचालन की अवधि में, वैसे आवासीय विद्यालय जहाँ नामांकन कुल आवासन क्षमता का 50 प्रतिशत या उससे कम है, वहाँ कुल आवासन क्षमता का 50 प्रतिशत छात्राओं की उपस्थिति के आधार पर तथा वैसे आवासीय विद्यालय जहाँ नामांकन कुल आवासन क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक है, वहाँ कुल आवासन क्षमता के अनुरूप सभी छात्राओं की उपस्थिति के आधार पर विपत्र तैयार किया जायेगा एवं तदनुसार भुगतान किया जायेगा।
- (vi) आवासित छात्राओं को देय लम्बी अवकाश की अवधि (यथा-ग्रीष्मावकाश/शीतकालीन अवकाश) में भी विद्यालय परिसर की साफ सफाई का कार्य जारी रहेगा। चूंकि अवकाश की अवधि में साफ-सफाई कार्य सीमित होंगे अतः इसके लिए कुल आवासन क्षमता के आधार पर समतुल्य व्यय की राशि का 25 प्रतिशत या MoU में निहित शर्तों के अनुसार, साफ-सफाई में संलग्न कर्मियों को ₹0 200/- (₹0 दो सौ) प्रति दिन प्रति कर्मियों की दर से अवकाश अवधि के आधे दिन की राशि में से, जो कम होगा, उसका भुगतान किया जाएगा।

(2) विपत्रों की निकासी एवं लेखा संधारण

- (i) जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के लिए नामांकित छात्रा बल के अनुसार निर्धारित दर पर विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह के अंतिम दिन जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-23 के रूप में संलग्न है)

- (ii) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी विपत्र में अंकित छात्राओं की संख्या एवं राशि का सत्यापन अगले तीन दिनों में प्रधानाध्यापक से करायेंगे (विहित प्रपत्र अनुलग्नक-24) एवं आवश्यकतानुसार स्वयं भी जाँच करेंगे। सत्यापन में तिथिवार छात्रोपस्थिति, निरीक्षणों में सफाई की गुणवत्ता के आधार पर प्राप्त विपत्र की जांच की जाएगी। निरीक्षणों में अंकित सफाई के किसी भी विवरण में 2 असंतोषजनक अभ्युक्ति के लिए उक्त तिथि के भुगतेय राशि से 5 प्रतिशत की कटौती, 3 से अधिक एवं 5 से कम असंतोषजनक अभ्युक्तियों के लिए 10 प्रतिशत और 5 से अधिक असंतोषजनक अभ्युक्तियों के लिए संदर्भित तिथियों निरीक्षण तिथियों के लिए भुगतेय कुल राशि में से 20 प्रतिशत राशि की कटौती विपत्र से करने के उपरांत ही विपत्र को अनुमोदित किया जाएगा। निरीक्षणों में सफाई के मानक गुणवत्ता से कम गुणवत्ता की सफाई का साक्ष्य, फोटोग्राफ सहित विद्यालय प्रधानाध्यापक रक्षित करेंगे। भुगतान/स्वीकृति हेतु विहित प्रपत्र संलग्न है।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-25 के रूप में संलग्न)

- (iii) उपर्युक्त कटौती प्रावधान व्यवस्था प्रारम्भ होने के प्रथम तीन माह लागू नहीं होंगे। 3-6 माह तक कटौती प्रावधान के आधे दर पर कटौती होगी तथा 6 माह के बाद उपर्युक्त कटौती प्रावधान पूर्णतः लागू हो जायेंगे।
- (iv) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के लिए जीविका को भुगतान किए गए विपत्रों से संबंधित अभिलेखों का संधारण विहित प्रपत्र के अनुसार अलग पंजी में करेंगे।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-26)

3. केन्द्रीयकृत बैंक खाता— बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के द्वारा समेकित रूप से उपर्युक्त सेवाओं के लिए प्रत्येक जिला में एक केन्द्रीयकृत बैंक खाता संधारित किया जाएगा एवं जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी से समेकित रूप से उपर्युक्त वर्णित सेवाओं के विरुद्ध अग्रिम राशि एवं भुगतेय राशि उक्त केन्द्रीयकृत खाता में हस्तांतरित करने का अनुरोध किया जाएगा। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के जिला स्तरीय कार्यालय के द्वारा प्रत्येक सेवा के लिए अलग-अलग पंजियों का संधारण किया जायेगा।

4. अग्रिम राशि— जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त सभी सेवाओं/कार्यों यथा—मेस संचालन, पोशाक आपूर्ति, पोशाक धुलाई एवं विद्यालय परिसर के साफ-सफाई के कार्यों हेतु समेकित रूप से जीविका से प्राप्त अनुमानित विपत्र के आलोक में निम्नानुसार अग्रिम निकासी AC विपत्र से कर जीविका के चिन्हित केन्द्रीयकृत बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी:—

(a) मेस संचालन, पोशाक धुलाई एवं विद्यालय परिसर के साफ-सफाई के कार्यों हेतु जीविका से प्राप्त अनुमानित विपत्र के आलोक में 02 माह के व्यय की समतुल्य राशि की अग्रिम उपलब्ध करायी जायेगी।

(b) पोशाक आपूर्ति हेतु संकल्प के अनुसार निर्धारित दर पर पोशाक आपूर्ति के कुल व्यय के अधिकतम 30 प्रतिशत की राशि जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा कैलेण्डर वर्ष में शैक्षणिक सत्रारंभ (माह-अप्रैल) से पूर्व माह-फरवरी में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा चिन्हित खाता में अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जो माँग एवं दर के आधार पर होगा।

5. विपत्रों की निकासी एवं अग्रिम का समायोजन—

(i) मेस संचालन, पोशाक धुलाई एवं विद्यालय परिसर के साफ-सफाई का कार्य—

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 1^{ली} तिथि से 10^{वीं} तिथि तक उपर्युक्त वर्णित मेस संचालन, पोशाक धुलाई एवं विद्यालय परिसर के साफ-सफाई के कार्यों के विरुद्ध व्यय से संबंधित राशि का समायोजन एवं भुगतान निम्नवत् किया जाएगा :—

(a) उपर्युक्त कार्यों हेतु उस माह का विपत्र वर्णित विधि के अनुरूप जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में जीविका द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा एवं जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय द्वारा अनुमोदनोपरांत Fully Vouched Bill के आधार पर विपत्र समर्पित किए जाने के पश्चात् 7 (सात) दिनों के अन्दर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के चिन्हित बैंक खाता में भुगतान की जाएगी।

(b) जीविका द्वारा मेस संचालन के प्रथम चार माह का अभिश्रव Fully Vouched Bill के रूप में कोषागार से निकासी कर जीविका के चिन्हित बैंक खाते में माहवार संधारित किया जाएगा। पाँचवें माह के अभिश्रव का समायोजन पूर्व में दिये गये अग्रिम के डी0सी0 विपत्र के रूप में समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार यह पाँच माह का चक्र होगा जिसमें प्रथम चार माह का अभिश्रव Fully Vouched Bill के माध्यम से माहवार निकासी की जाएगी एवं पाँचवें माह का अभिश्रव D.C. Bill

के रूप में समायोजित कर लिया जाएगा। पाँचवें महीने के अंत में पुनः एक माह के व्यय के समतुल्य राशि की निकासी A.C. Bill पर करते हुए जीविका को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिससे वह छठे माह के व्यय को भारित कर सकेगी। यह 5 (पाँच) माह का चक्र क्रमवार चलता रहेगा।

उदाहरण :- अगर जीविका द्वारा उपर्युक्त कार्यों को माह अगस्त में प्रारंभ किया जाना है, तो उसके ठीक पिछले माह अर्थात् माह जुलाई में A.C. Bill के माध्यम से दो माह के व्यय के समतुल्य राशि की अग्रिम निकासी कर जीविका को उपलब्ध कराया जायेगा। जीविका द्वारा प्रथम तीन महीने अर्थात् अगस्त, सितम्बर, एवं अक्टूबर माह में व्यय की गई राशि का माहवार समर्पित अभिश्रव की निकासी कोषागार से Fully Vouched Bill पर जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जीविका के खाते में माहवार संधारित किया जायेगा। चौथे एवं पाँचवें महीने अर्थात् नवंबर एवं दिसम्बर के व्यय से संबंधित अभिश्रव को डी0सी0 विपत्र के माध्यम से छठे माह (जनवरी) के प्रथम सप्ताह में जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा समायोजित किया जायेगा। पाँचवें महीने (दिसंबर) के अंत में पुनः दो माह के व्यय के समतुल्य राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर करते हुए जीविका को उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिससे कि वह अगले चक्र के पहले (जनवरी) एवं दूसरे माह (फरवरी) के व्यय को भारित कर सकेगी।

(ii) पोशाक की आपूर्ति-

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा पोशाक आपूर्ति के विपत्रों का समायोजन निम्नवत् करेंगे:-

- संगत वित्तीय वर्ष के लिए दिए गए अग्रिम राशि का समायोजन माह मई की 31^{वीं} तक डी0सी0 विपत्र के माध्यम से कर लिया जाएगा।
- समायोजन के उपरांत जीविका को भुगतये अवशेष राशि, यदि हो, तो पूर्ण विपत्र (Fully Vouched Bill) के आधार पर विपत्र प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के अन्दर भुगतान बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के चिन्हित बैंक खाता में करेंगे।
- पोशाक आपूर्ति मद में अग्रिम निकासी यदि पोशाक मद में व्यय से अधिक है, उस स्थिति में वास्तविक व्यय से अधिक की राशि जीविका से प्राप्त कर कोषागार चालान के माध्यम से वापस कर दिया जायेगा।

6. अनुश्रवण की व्यवस्था

- उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत् किया जाएगा:-

क्र० सं०	पदनाम	पद
1	उप विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी	सदस्य सचिव
3	जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका)	सदस्य
4	प्रधानाध्यापक	सदस्य
5	आवासीय विद्यालय के छात्रावास प्रभारी/वार्डन	सदस्य

जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की प्रत्येक तीन माह पर न्यूनतम एक बैठक करना अनिवार्य होगी। विहित एवं निर्धारित मानक के अनुसार जीविका के माध्यम

से संचालित उपर्युक्त सेवाओं का अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी प्रत्येक माह में सभी संबंधित के साथ समन्वय (Co-ordination) बैठक करेंगे।

- (ii) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी अथवा नामित अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी एवं जीविका के जिला स्तरीय पदाधिकारी— जिला परियोजना प्रबंधक अथवा नामित पदाधिकारी की संयुक्त टीम के द्वारा उपर्युक्त सेवाओं का प्रत्येक माह के 11^{वीं} से 20^{वीं} तिथि तक स्थलीय जाँच/निरीक्षण किया जाएगा। स्थलीय जाँच/निरीक्षण में मेस संचालन, भोजनादि की आपूर्ति, आपूर्ति का समय, मेन्यू के अनुपालन, पोशाक की गुणवत्ता, पोशाक की ससमय आपूर्ति एवं ससमय भुगतान, मानक के अनुरूप पोशाक धुलाई, विद्यालय भवन एवं छात्रावास भवन में शौचालय, स्नानागार, परिसर आदि की विशेष रूप से साफ-सफाई आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा एवं छात्राओं से इस संबंध में फीडबैक लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण-माह के विपत्र भुगतान का भी सत्यापन किया जाएगा एवं राशि के भुगतान तथा विद्यालय स्तर पर संधारित अभिलेखों, साक्ष्यों का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। समय-समय पर विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा।
 - (iii) संयुक्त जाँच दल द्वारा स्थलीय जाँच/निरीक्षण के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी उक्त अनुशंसा के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
 - (iv) यथासंभव निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संयुक्त रूप से जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका), आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं मेस प्रभारी के साथ प्रत्येक माह के 21^{वीं} से 30^{वीं} तिथि की अवधि में से किसी एक तिथि को उपर्युक्त सेवा की समीक्षा की जाएगी।
 - (v) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा उपर्युक्त सेवाओं के लिए यथाशीघ्र वास्तविक समय में निगरानी प्रक्रिया (Real Time Monitoring System) विकसित की जाएगी।
 - (vi) आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्राओं के द्वारा किए गए असुविधा/टूट-फूट या नुकसान का आकलन संयुक्त टीम के द्वारा किया जाएगा। आकलन के अनुरूप नुकसान की समुचित भरपाई संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
 - (vii) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के द्वारा उपर्युक्त सेवाओं के विरुद्ध व्यय की गई राशि का अलग-अलग व्यय विवरणी विभाग को समर्पित किया जायेगा।
7. प्रथमतः अनुबंध तीन वर्षों के लिए किया गया है। प्राप्त सेवाएँ मानक स्तर की पाये जाने पर नियमानुसार अवधि विस्तार किया जा सकेगा।
 8. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संबंधित सामुदायिक संगठन के द्वारा कार्य छोड़ने से 02 माह पूर्व प्रधानाध्यापक के माध्यम से जिला

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी एवं निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचना दी जायेगी।

9. अन्य:-

- (i) समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में परिवर्तन किया जा सकता है तथा कार्यान्वयन के क्रम में नये निदेश/अनुदेश निर्गत किये जा सकते हैं:-
 - (ii) समझौता ज्ञापन (M.o.U) एवं मार्गदर्शिका से संबंधित कोई कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे या विसंगति निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संयुक्त रूप से बैठक कर समाधान कर ली जाएगी।
10. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

25/4/2025
निदेशक

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-पि0व0/4/वि0यो0-22-8/2023- 485 पटना, दिनांक- 25/4/25

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव के प्रधान आर्ष सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/4/2025
निदेशक

ज्ञापांक- पि0व0/4/वि0यो0-22-8/2023- 485 पटना, दिनांक- 25/4/25

प्रतिलिपि- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति(जीविका), पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उपविकास आयुक्त, बिहार/सभी प्रमण्डलीय उपनिदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी /सभी प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय /सभी जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/4/2025
निदेशक

ज्ञापांक- पि0व0/4/वि0यो0-22-8/2023- 485 पटना, दिनांक- 25/4/25

प्रतिलिपि- सभी विभागीय पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/4/2025
निदेशक

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के छात्राओं हेतु मेन्यू का निर्धारण					(अनुलग्नक 1A)
क्रमांक	दिन	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	संध्या का नाश्ता	रात्रि का भोजन
1	2	3	4	5	6
1	सोमवार	(क) 2 स्तफ़्ड पराठा (आलू/सत्तू/गोभी/मेथी) (ख) 50 ग्राम दही (ग) चटनी (घ) अचार	(क) चावल (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) सलाद (ङ) 50 ग्राम दही (च) चटनी	(i)(क) 2 कचौड़ी या (ii) 2 समोसा (ख) चटनी (ग) 1 मौसमी फल (i या ii में से कोई एक)	(क) रोटी (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) 50 ग्राम खीर
2	मंगलवार	(i)(क) पोहा/चूड़ा फ्राई, (ख) चना घूघनी या (ii) ब्रेड जैम एवं बटर (ग) 100 एम0एल0 दूध (i या ii में से कोई एक)	(क) चावल (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी फ्राय (घ) 50 ग्राम दही (ङ) चटनी (च) पापड़	(i)(क) एक प्लेट चाउमीन या (ii) ब्रेड पकौड़ा-2 (i या ii में से कोई एक)	(क) रोटी (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) 50 ग्राम सेवई (मीठी)
3	बुधवार	(क) पुरी (मध्यम साईज-5) (ख) सब्जी (ग) 100 एम0एल0 दूध या 50 ग्राम दही	(क) चावल (ख) दाल (ग) 2 पीस अंडा करी (शाकाहारी-25 ग्राम पनीर/बेसन की सब्जी), (घ) सलाद (ङ) 1 पीस मिठाई	(क) चूड़ा फ्राय (ख) चना घूघनी (ग) 1 मौसमी फल	(क) रोटी (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) 50 ग्राम खीर
4	गुरुवार	(क) इडली-4 (ख) बड़ा-1 (ग) सांभर (घ) चटनी	(क) चावल (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) सलाद (ङ) 50 ग्राम दही (च) चटनी	(i)(क) एक प्लेट नूडल्स या (ii) उपमा (i या ii में से कोई एक)	(क) रोटी (ख) दाल (ग) पनीर की सब्जी (घ) सेवई (मीठी)
5	शुक्रवार	(क) 3 ब्रेड रोल (ख) 1 वेज सैंडविच (ग) चटनी	(क) चावल (ख) दाल (ग) 2 पीस अंडा करी (शाकाहारी-25 ग्राम पनीर/बेसन की सब्जी), (घ) सलाद (ङ) 1 पीस मिठाई	(क) 100 ग्राम सूजी का हलवा (मीठा)	(क) रोटी (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) सलाद
6	शनिवार	(i) (क) 2 स्तफ़्ड पराठा (आलू/सत्तू/गोभी/मेथी) (ख) 50 ग्राम दही (ग) चटनी (घ) अचार या (ii) (क) 4 ब्रेड जैम एवं बटर (ख) 100 एम0एल0 दूध या (iii) (क) 100 ग्राम चूड़ा (ख) 50 ग्राम दही (ग) चीनी (i या ii या iii में से कोई एक)	(क) चावल (ख) दाल (ग) 2 पीस नन वेज (शाकाहारी-25 ग्राम पनीर एवं मटर की स्पेशल सब्जी), (घ) सलाद	(क) 2 भेज पकौड़ा (ख) चटनी	(i)(क) खिचड़ी, (ख) चोखा (ग) पापड़ या (ii) (क) वेज बिरयानी (ख) रायता (ग) चटनी (i या ii में से कोई एक)
7	रविवार	(क) स्तफ़्ड पूरी-4 (ख) मिक्सड भेज	(क) चावल (ख) कढ़ी (ग) वेज फ्राई, (घ) सलाद (ङ) 50 ग्राम दही (च) चटनी	(क) छेने की मिठाई-2 नग	(क) रोटी (ख) दाल (ग) सोयाबीन की सब्जी (घ) सेवई (मीठी)

नोट:- दोपहर तथा रात्रि भोजन में मौसमी सब्जियों का दोहराव नहीं किया जाएगा। प्रति सप्ताह दोपहर/रात्रि के भोजन में न्यूनतम 3 प्रकार की मौसमी सब्जी का प्रयोग अनिवार्य होगा, जिसमें दोपहर-रात्रि भोजनों में एक ही प्रकार की सब्जी का दोहराव नहीं किया जाएगा। प्रति सप्ताह दोपहर/रात्रि भोजनों में देय दाल में न्यूनतम 3 प्रकार के दालों का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें दोपहर-रात्रि भोजनों में एक ही दाल का दोहराव नहीं किया जाएगा। माह के 4 शनिवारों के दोपहर के स्पेशल मांसहारी/शाकाहारी भोजनों में 2 शनिवार चिकन/पनीर, 1 शनिवार मछली/राजमा तथा 1 शनिवार मटन/छोले दिया जाएगा।

क्षेत्र-विशेष की अभिरुचि/आवश्यकतानुसार मेनू में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय क्रय समिति के अनुमोदनोपरांत आंशिक संशोधन किया जा सकता है, जिसकी सूचना मुख्यालय को दी जायेगी।

(गोपाल प्रसाद)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अनुलग्नक-1

दैनिक छात्रोपस्थिति हेतु प्रपत्र

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का नाम—

Refrence No:-

Date:-

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा मेस संचालन करने वाले सामुदायिक संगठन (दीदी की रसोई) का नाम—

क्र० सं०	दिनांक	कुल उपस्थित छात्राओं की संख्या	कितने बार भोजन/ जलपान की आपूर्ति की गई	मेनू के अनुसार भोजन/ जलपान दिया गया अथवा नहीं	भोजन/ जलपान निर्धारित समय पर आपूर्ति किया गया अथवा नहीं	विद्यालय के छात्रावास प्रभारी/ वार्डन का हस्ताक्षर	प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर	जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय पदाधिकारी के भ्रमण के दिनों का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

अनुलग्नक- 2
भुगतान विपत्र

Refrence No:-

Date:-

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय,.....

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन (दीदी की रसोई) द्वारा संचालित मेस के विपत्र भुगतान हेतु

1. विद्यालय का नाम—
 2. जिला का नाम—
 3. प्रखण्ड का नाम—
 4. मेस संचालन के लिए नामित सामुदायिक संगठन (दीदी की रसोई) का नाम:—
 5. माह— वर्ष— में कुल छात्राओं की संख्या :—
- {जिन्हें भोजन (जलपान सहित) उपलब्ध कराया गया है}

क्र० सं०	दिनांक	सामुदायिक संगठन (दीदी की रसोई का नाम)	मेनू के अनुसार अथवा नहीं (हां/ नहीं)	छात्राओं की कुल संख्या	प्रति छात्रा प्रतिदिन निर्धारित दर (रूपया)	कुल
1	2	3	4	5	6	7

(अभिप्रमाणित करनेवाले कर्मियों/पदाधिकारियों का हस्ताक्षर (नाम एवं मुहर सहित)

सामुदायिक संगठन
(दीदी की रसोई) के
अध्यक्ष/सचिव

जिला परियोजना प्रबंधक
(जीविका)

अनुलग्नक- 3

विपत्र भुगतान के लिए सत्यापन प्रपत्र

Refrence No:-

Date:-

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय,.....

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन (दीदी की रसोई) द्वारा संचालित मेस के विपत्र भुगतान हेतु

1. विद्यालय का नाम—
 2. जिला का नाम—
 3. प्रखण्ड का नाम—
 4. मेस संचालन के लिए नामित सामुदायिक संगठन (दीदी की रसोई) का नाम:—
 5. माह— वर्ष— में कुल छात्राओं की संख्या :—
- { जिन्हें भोजन (जलपान सहित) उपलब्ध कराया गया है }

क्र० सं०	दिनांक	सामुदायिक संगठन (दीदी की रसोई का नाम)	कुल उपस्थित छात्राओं की संख्या	मेनू के अनुसार (हाँ/ना)	निर्धारित समय पर भोजन (जलपान सहित) की आपूर्ति (हाँ/ना)	मेनू एवं समय से भोजन उपलब्ध नहीं कराने के लिए कटौती	कुल भुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

(अभिप्रमाणित करनेवाले कर्मियों/पदाधिकारियों का हस्ताक्षर (नाम एवं मुहर सहित))

प्रमाणित किया जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में उपस्थिति एवं मेस संचालन के लिए संधारित पंजी से मिलान किया गया एवं उपरोक्त के आधार पर अनुशंसा की जाती है।

प्रधानाध्यापक

अनुलग्नक-4

स्वीकृतिपत्र

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था हेतु संकल्प संख्या- 1769, दिनांक-21.11.2024 के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (M.o.U) किया गया है, जिसके आलोक में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय,..... के आवासीय छात्राओं को भोजन (जलपान सहित) उपलब्ध कराने के पश्चात् जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) ने Reference No:- _____ Date:- _____ द्वारा समर्पित किया गया है, जिसका

सत्यापन प्रधानाध्यापक से कराया गया है।

2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आवंटनादेश संख्या- _____ दिनांक- _____ द्वारा सामग्री एवं पूर्तियां मद में आवंटन प्राप्त है। उक्त आवंटनादेश के विपत्र कोड:- 11-2225032770010(21.01) के आवंटन से निम्न प्रकार राशि की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	सामुदायिक संगठन का नाम	विपत्र सं०/ तिथि	अभिभव की राशि	जी०एस०टी० @ 2%	आयकर @ 2%	कुल कटौती	शुद्ध भुगतान राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल योग-									

3. मेस संचालन के लिए अधिकृत सामुदायिक संगठन को भुगतान हेतु विपत्र की कुल राशि मो०-.....मात्र बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के खाता सं०..... एवं IFSC Code _____ में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी
ज्ञापांक-..... दिनांक-.....
प्रतिलिपि- राज्य परियोजना प्रबंधक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका)/.....
.... दीदी की रसोई, को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी
ज्ञापांक-..... दिनांक-.....
प्रतिलिपि-वरीय कोषागार पदाधिकारी..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी
ज्ञापांक-..... दिनांक-.....
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी

अनुलग्नक-5

जिला में अभिलेख संधारण पंजी

क्रम संख्या	जीविका के दीदी की रसोई द्वारा मेस के विपत्र भुगतान का Ref. No- Date:-	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में विपत्र प्राप्ति की तिथि	विपत्र सत्यापन की तिथि	कोषागार से विपत्र समर्पित करने की तिथि	कोषागार से विपत्र पारित करने की तिथि	विपत्र की राशि	UTR No.

अनुलग्नक-6

पोशाक आपूर्ति हेतु प्रपत्र (Indent)

Refrence No:-

Date:-

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का नाम—

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा पोशाक आपूर्ति की विवरणी —

क्र० सं०	छात्रा का नाम	कक्षा	पोशाक की सं०	पोशाक का माप	कक्षा शिक्षक का हस्ताक्षर

सामुदायिक संगठन के
अध्यक्ष का हस्ताक्षर

शिक्षक/कर्मि का हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक-7

पोशाक आपूर्ति हेतु प्रपत्र (मापी प्रपत्र)

Refrence No:-

Date:-

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का नाम—

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा पोशाक आपूर्ति की विवरणी —

क्र० सं०	छात्रा का नाम	कक्षा	पोशाक की सं०	पोशाक का माप

सामुदायिक संगठन के
अध्यक्ष का हस्ताक्षर

शिक्षक/कर्मि का हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक-8

पोशाक प्राप्ति एवं वितरण हेतु प्रपत्र

Refrence No:-

Date:-

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का नाम—

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा पोशाक प्राप्ति एवं वितरण की विवरणी —

क्र० सं०	छात्रा का नाम	कक्षा	पोशाक की सं०	छात्रा का हस्ताक्षर

सामुदायिक संगठन के
अध्यक्ष का हस्ताक्षर

शिक्षक/कर्मि का हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक-9

पोशाक प्राप्ति एवं वितरण हेतु प्रपत्र

Refrence No:-

Date:-

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का नाम—

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा पोशाक के फिटिंग में समस्या संबंधित विवरणी —

क्र० सं०	छात्रा का नाम	कक्षा	पोशाक की सं०	पोशाक की फिटिंग में समस्या का प्रकार	छात्रा का हस्ताक्षर

सामुदायिक संगठन के
अध्यक्ष का हस्ताक्षर

शिक्षक/कर्मि का हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक-10

पोशाक प्राप्ति एवं वितरण हेतु प्रपत्र

Refrence No:-

Date:-

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का नाम—

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा पोशाक फिटिंग के उपरांत वितरण की विवरणी —

क्र० सं०	छात्रा का नाम	कक्षा	पोशाक की सं०	छात्रा का हस्ताक्षर

सामुदायिक संगठन के
अध्यक्ष का हस्ताक्षर

शिक्षक/कर्मि का हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक- 11

भुगतान विपत्र

Refrence No:-

Date:-

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय,.....

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन द्वारा संचालित पोशाक आपूर्ति के विपत्र भुगतान हेतु

1. विद्यालय का नाम—
2. जिला का नाम—
3. प्रखण्ड का नाम—
4. पोशाक आपूर्ति के लिए नामित सामुदायिक संगठन का नाम:—
5. माह— वर्ष— में पोशाक प्राप्त करनेवाले कुल छात्राओं की संख्या :—
(अनुलग्नक-10 संलग्न)

क्र० सं०	दिनांक	छात्रा का नाम	कक्षा	प्रति छात्रा प्रति पोशाक निर्धारित दर (रूपया)	पोशाक का सेट (4)	पोशाक प्राप्त करने वाले कुल छात्राओं की संख्या	प्रति छात्रा प्रति पोशाक निर्धारित दर (रूपया)	कुल राशि

(अभिप्रमाणित करनेवाले कर्मियों/पदाधिकारियों का हस्ताक्षर (नाम एवं मुहर सहित)

सामुदायिक संगठन
(दीदी की रसोई) के
सचिव

सामुदायिक संगठन
(दीदी की रसोई) के
अध्यक्ष

प्रखंड परियोजना प्रबंधक
(जीविका)

जिला परियोजना प्रबंधक
(जीविका)

अनुलग्नक- 12
भुगतान विपत्र का सत्यापन

Refrence No:-

Date:-

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय.....
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन
द्वारा संचालित पोशाक आपूर्ति के विपत्र भुगतान हेतु

1. विद्यालय का नाम—
2. जिला का नाम—
3. प्रखण्ड का नाम—
4. पोशाक आपूर्ति के लिए नामित सामुदायिक संगठन का नाम:—
5. माह— वर्ष— में पोशाक प्राप्त करनेवाले कुल छात्राओं की संख्या :—
(अनुलग्नक-10 एवं अनुलग्नक-11 के रूप में संलग्न)

क्र० सं०	दिनांक	छात्रा का नाम	कक्षा	प्रति छात्रा प्रति पोशाक निर्धारित दर (रूपया)	पोशाक का सेट (4)	पोशाक प्राप्त करने वाले कुल छात्राओं की संख्या	प्रति छात्रा प्रति पोशाक निर्धारित दर (रूपया)	कुल राशि

(अभिप्रमाणित करनेवाले कर्मियों/पदाधिकारियों का हस्ताक्षर (नाम सहित) एवं मुहर)

प्रमाणित किया जाता है कि आवासीय विद्यालय में पोशाक आपूर्ति के लिए संधारित पंजी से मिलान किया गया एवं उपरोक्त के आधार पर अनुशंसा की जाती है।

प्रधानाध्यापक

अनुलग्नक-13

स्वीकृत्यादेश

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में पोशाक आपूर्ति हेतु संकल्प संख्या-1769 दिनांक-21.11.2024 के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (M.o.U) किया गया है, जिसके आलोक में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय....., के आवासीय छात्राओं को पोशाक आपूर्ति कराने के पश्चात् जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) ने Refrence No:-

Date:- द्वारा समर्पित किया गया है, जिसका सत्यापन प्रधानाध्यापक से कराया गया है।

2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आवंटनादेश संख्या-..... दिनांक-..... द्वारा सामग्री एवं पूर्तिमां मद में आवंटन प्राप्त है। उक्त आवंटनादेश के विपत्र कोड:- 11-2225032770010(21.01) के आवंटन से निम्न प्रकार राशि की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	सामुदायिक संगठन का नाम	विपत्र सं० / तिथि	अभिभ्रव की राशि	जी०एस०टी० @ 2%	आयकर @ 2%	कुल कटौती	शुद्ध भुगतान राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल योग:-									

3. पोशाक आपूर्ति के लिए अधिकृत सामुदायिक संगठन को भुगतान हेतु विपत्र की कुल राशि मो०-.....मात्र बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के खाता सं०..... एवं IFSC Code में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी
दिनांक-.....
ज्ञापांक-.....
प्रतिलिपि- राज्य परियोजना प्रबंधक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) /
दीदी की रसोई, को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी
दिनांक-.....
ज्ञापांक-.....
प्रतिलिपि-वरीय कोषागार पदाधिकारी..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी
दिनांक-.....
ज्ञापांक-.....
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी

अनुलग्नक-14

जिला में अभिलेख संधारण पंजी

क्रम संख्या	जीविका द्वारा पोशाक आपूर्ति के विपत्र भुगतान का Ref. No- Date:-	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में विपत्र प्राप्ति की तिथि	विपत्र सत्यापन की तिथि	कोषागार से विपत्र समर्पित करने की तिथि	कोषागार से विपत्र पारित करने की तिथि	विपत्र की राशि	UTR No

अनुलग्नक-15

पोशाक धुलाई हेतु प्रपत्र

Refrence No:-

Date:-

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का नाम—

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा पोशाक धुलाई की विवरणी —

क्र० सं०	छात्रा का नाम	कक्षा	पोशाक की सं०	पोशाक का नाम	कक्षा शिक्षक का हस्ताक्षर

सामुदायिक संगठन के
अध्यक्ष का हस्ताक्षर

शिक्षक/कर्मि का हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक-16

Dress Cleaning Record

Sl. No.	Details	
1	Name of institution	
2	Name of record	Dress Cleaning Records
3	Name of the authorized JEEVIKA representative	
4	Week (Wednesday and Saturday basis)	

Received by JEEVIKA

Date:

Day:

Sl. No.	Class	No. of clothing items	Net weight of clothes (in kgs)	Sign. of Mentor/Hostel Supdt./ Warden	Sign. of authorized JEEVIKA Rep.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
Gross Total					

Sign of JEEVIKA Rep.

Sign. of Head Master/Teacher

Received from JEEVIKA

Date:

Day:

Sl. No.	Class	No. of clothing items Given	No. of cloths Received	Net weight of clothes (in kgs)	Sign. of Mentor/Hostel Supdt./ Warden	Sign. of authorized JEEVIKA Rep.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
Gross Total						

अनुलग्नक— 17

भुगतान विपत्र

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय,

Refrence No:-

Date:-

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित प्राधिकृत सामुदायिक संगठन द्वारा पोशाक धुलाई के भुगतान हेतु विपत्र:-

1. विद्यालय का नाम—
2. जिला का नाम—
3. प्रखण्ड का नाम—
4. पोशाक—धुलाई के लिए नामित सामुदायिक संगठन का नाम:—
5. माह— वर्ष— में धुलाई किये गये पोशाक का कुल वजन:— कि०ग्रा०

क्र० सं०	पोशाक धुलाई हेतु नामित सामुदायिक संगठन का नाम	सप्ताह (Wednesday and Saturday basis)	धुलाई किये गये पोशाक		दर	कुल राशि
			कुल सं०	वजन (किग्रा० में)		
1						
2						
3						
4						
5						
कुल					—	

(अभिप्रमाणित करनेवाले कर्मियों/पदाधिकारियों का हस्ताक्षर (नाम एवं मुहर सहित)

नामित संगठन के अध्यक्ष/सचिव

प्रखंड परियोजना प्रबंधक
(जीविका)

जिला परियोजना प्रबंधक
(जीविका)

अनुलग्नक-18
भुगतान विपत्र का सत्यापन

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय,

Refrence No:-

Date:-

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित प्राधिकृत सामुदायिक संगठन द्वारा पोशाक धुलाई के भुगतान हेतु विपत्र

1. विद्यालय का नाम—
2. जिला का नाम—
3. प्रखण्ड का नाम—
4. पोशाक धुलाई के लिए नामित सामुदायिक संगठन का नाम:-
5. माह— वर्ष— में धुलाई किये गये पोशाक का कुल वजन:- कि०ग्रा०

क्र० सं०	पोशाक धुलाई हेतु नामित सामुदायिक संगठन का नाम	सप्ताह (Wednesday and Saturday basis)	धुलाई किये गये पोशाक		दर	कुल राशि	जीविका को प्राप्त कराये गये वस्त्र एवं धुलाई उपरांत प्राप्त वस्त्रों की सं० में अन्तर			कुल कटौती	भुगतये राशि (7-11)
			कुल सं०	वजन (किग्रा० में)			मद	सं०	मूल्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
कुल					—						

(अभिप्रमाणित करनेवाले कर्मियों/पदाधिकारियों का हस्ताक्षर (नाम सहित) एवं मुहर)

प्रमाणित किया जाता है कि आवासीय विद्यालय में पोशाक धुलाई हेतु संधारित पंजी से मिलान किया गया, एवं उपरोक्त के आधार पर अनुशंसा की जाती है।

प्रधानाध्यापक/शिक्षक/कर्मि

अनुलग्नक-19

स्वीकृत्यादेश

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में पोशाक धुलाई की व्यवस्था हेतु संकल्प संख्या-1769 दिनांक-21.11.2024 के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (M.o.U) किया गया है, जिसके आलोक में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय....., के आवासीय छात्राओं को पोशाक धुलाई कराने के पश्चात् जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) ने विपत्र Refrence No:- _____ Date:- _____ द्वारा विपत्र समर्पित किया गया है, जिसका सत्यापन प्रधानाध्यापक से कराया गया है।

2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आवंटनादेश संख्या- _____ दिनांक- _____ द्वारा सामग्री एवं पूर्तियां मद में आवंटन प्राप्त है। उक्त आवंटनादेश के विपत्र कोड:- 11-2225032770010(21.01) के आवंटन से निम्न प्रकार राशि की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	सामुदायिक संगठन का नाम	विपत्र सं० / तिथि	अभिभव की राशि	जी०एस०टी० @ 2%	आयकर @ 2%	कुल कटौती	शुद्ध भुगतान राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल योग-									

3. पोशाक धुलाई के लिए अधिकृत सामुदायिक संगठन को भुगतान हेतु विपत्र की कुल राशि मो०-.....मात्र बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के खाता सं०..... एवं IFSC Code _____ में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी
दिनांक-
ज्ञापांक-.....
प्रतिलिपि- राज्य परियोजना प्रबंधक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) /
.... दीदी की रसोई, को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी
दिनांक-
ज्ञापांक-.....
प्रतिलिपि-वरीय कोषागार पदाधिकारी..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी
दिनांक-
ज्ञापांक-.....
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी

अनुलग्नक-20

जिला में अभिलेख संधारण पंजी

क्रम संख्या	जीविका द्वारा पोशाक धुलाई के विपत्र भुगतान का Ref. No- Date:-	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में विपत्र प्राप्ति की तिथि	विपत्र सत्यापन की तिथि	कोषागार से विपत्र समर्पित करने की तिथि	कोषागार से विपत्र पारित करने की तिथि	विपत्र की राशि	UTR No

ANNEXURE-21

Cleanliness Records
Name of the School-
Month-

Sl. No	Work- Description	Day-1	Remark	Day-2	Remark	Day-3	Remark	Day-4	Remark	*****	Remark	*****	Remark	Day-31	Remark
		Date		Date		Date		Date		Date		Date		Date	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Daily															
1	Hostel Rooms														
2	Hostel Toilets														
3	Hostel Bathrooms														
4	Kitchen														
5	Class Rooms														
6	class Room Toilets														
7	Washbasins														
8	Any Other														
Weekly															
	Drainage														
	Weeding														
	Wall/Cobwebs														
	Any Other														
	No. of Girls Present														
	Jeevike Supervisor's Sitgnature & Name														
	Inspection by (Sign & Name of Auth. Representative of JEEVIKA). As on when done														
	Signature of Headmaster/Teacher Incharge & Name														

Toilets and Bathrooms are to be cleaned two times and campus one time daily. Extra cleaning if required, would be done as per the direction of Headmaster.

Note:- Remarks to be categorised 'Good(G)' Satisfactory (S)' & 'Not Satisfactory(NS)'

अनुलग्नक-22

Ref No-----

Date-----

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का नाम:

बिहार जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति(जीविका) द्वारा विद्यालय परिसर की साफ-सफाई करने वाले नामित सामुदायिक संगठन का नाम:

[illegible]

अनुलग्नक-23

भुगतान विपत्र-

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का नाम:-

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संतोषित सामुदायिक संगठन द्वारा विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के भुगतान हेतु विपत्र:-

क्र० सं०	दिनांक	छात्रोपस्थिति	दर	राशि

नामित संगठन के
अध्यक्ष/सचिव

प्रखंड परियोजना प्रबंधक
(जीविका)

जिला परियोजना प्रबंधक
(जीविका)

अनुलग्नक- 24
विपत्र भुगतान के लिए सत्यापन प्रपत्र
Refrence No:- Date:-

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय,
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन
द्वारा आवासीय विद्यालयों के परिसर साफ-सफाई सेवा के विपत्र भुगतान हेतु:-

1. विद्यालय का नाम-
2. जिला का नाम-
3. प्रखण्ड का नाम-
4. मेस संचालन के लिए नामित सामुदायिक संगठन का नाम:-
5. माह- वर्ष- में कुल छात्राओं की संख्या :-

क्र० सं०	दिनांक	सामुदायिक संगठन का नाम	छात्राओं की औसत उपस्थिति	कितने बार साफ-सफाई की सेवा उपलब्ध कराया गया	निर्धारित समय पर साफ-सफाई की सेवा उपलब्ध कराया गया (हाँ/ना)	समय से साफ-सफाई की सेवा उपलब्ध नहीं कराने के लिए कटौती	कुल भुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

(अभिप्रमाणित करनेवाले कर्मियों/पदाधिकारियों का हस्ताक्षर (नाम एवं मुहर सहित)

प्रमाणित किया जाता है कि आवासीय विद्यालय में उपस्थिति एवं साफ-सफाई के लिए
संधारित पंजी से मिलान किया गया एवं उपर्युक्त के आधार पर अनुशंसा की जाती है।

प्रधानाध्यापक

अनुलग्नक-25

स्वीकृत्यादेश

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय परिसर की साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु संकल्प संख्या-1769 दिनांक-22.11.2024 के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (M.o.U) किया गया है, जिसके आलोक में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय,के परिसर की साफ-सफाई की सेवा उपलब्ध कराने के पश्चात् जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) ने Refrence No:-----Date:----- द्वारा समर्पित किया गया है, जिसका सत्यापन प्रधानाध्यापक से कराया गया है।

2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आवंटनादेश संख्या-..... दिनांक-..... द्वारा सामग्री एवं पूर्तियां मद में आवंटन प्राप्त है। उक्त आवंटनादेश के विपत्र कोड:- 11-2225032770010(21.01) के आवंटन से निम्न प्रकार राशि की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	सामुदायिक संगठन का नाम	विपत्र सं० / तिथि	अभिश्चव की राशि	जी०एस०टी० @ 2%	आयकर @ 2%	कुल कटौती	शुद्ध भुगतान राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल योग-									

3. आवासीय विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के लिए अधिकृत सामुदायिक संगठन को भुगतान हेतु विपत्र की कुल राशि मो०-.....मात्र बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के खाता सं०..... एवं IFSC Code में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी
ज्ञापांक-..... दिनांक-.....
प्रतिलिपि- राज्य परियोजना प्रबंधक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका)/.....
..... दीदी की रसोई, को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी
ज्ञापांक-..... दिनांक-.....
प्रतिलिपि-वरीय कोषागार पदाधिकारी..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी
ज्ञापांक-..... दिनांक-.....
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी

अनुलग्नक-26
जिला में अभिलेख संधारण पंजी

क्रम संख्या	जीविका द्वारा विद्यालय परिसर साफ-सफाई के विपत्र भुगतान का Ref. No- Date:-	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में विपत्र प्राप्ति की तिथि	विपत्र सत्यापन की तिथि	कोषागार से विपत्र समर्पित करने की तिथि	कोषागार से विपत्र पारित करने की तिथि	विपत्र की राशि	UTR No.